



जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (परीक्षा : पोस्ट-परिणाम अनुभाग)


क्रमांक : जनावि/परीक्षा/2024/852

दिनांक : 14/5/2024

:: अधिसूचना ::

माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा विद्यार्थियों को प्रदान किया जाने वाला माईग्रेशन प्रमाण-पत्र की आवेदन करने की प्रक्रिया दिनांक 16 मई, 2024 से ऑनलाईन शुरू की जाती है। इसके पश्चात् माईग्रेशन प्रमाण-पत्र हेतु ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट www.jnvu.edu.in प्रदर्शित लिंक Online Single Window Application Form के द्वारा ऑनलाईन निर्धारित शुल्क एवं समय अनुसार आवेदन करने पर माईग्रेशन प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

इसकी विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्तों का अवलोकन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर किया जा सकता है।



कुलसचिव

क्रमांक : जनावि/परीक्षा/2024/852

दिनांक : 14/5/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त अधिष्ठाता/समस्त केन्द्राधीक्षक
2. प्राचार्य, सभी सम्बद्ध महाविद्यालय, जोधपुर संभाग।
3. निदेशक, कमला नेहरू महाविद्यालय/सायंकालीन अध्ययन संस्थान।
4. वित्त नियंत्रक, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
5. निजी सचिव, कुलपति/ निजी सहायक कुलसचिव, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
6. सहायक कुलसचिव, वित्त एवं लेखा शाखा से आग्रह है कि दिनांक 16 मई, 2024 से माईग्रेशन प्रमाण-पत्र आवेदन हेतु प्रक्रिया ऑनलाईन शुरू की जाती है। अतः ऑफलाईन माईग्रेशन प्रमाण-पत्र हेतु शुल्क रसीद नहीं काटने का श्रम करावें।
7. समस्त सहायक कुलसचिव, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
8. सहायक कुलसचिव, अकादमिक शाखा, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर


कुलसचिव



जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
(परीक्षा: पोस्ट-परिणाम अनुभाग)

ऑन-लाईन प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) आवेदन हेतु दिशा निर्देश निम्न प्रकार है:-

1. प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) हेतु किसी भी ई-मित्र द्वारा या ऑन-लाईन साईट पर जाकर पंजीयन किया जा सकता है।
2. पंजीयन होने के बाद आपको पंजीयन ID से प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) पूर्ण विवरण के साथ फार्म भरा जा सकता है।
3. वर्ष 2017 से पहले के विद्यार्थी नया पंजीकरण (New Registration) करें।
4. वर्ष 2016 के पश्चात् के विद्यार्थी अपनी अन्तिम परीक्षा के रोल नं. व जन्म तिथि भरकर आवेदन कर सकते हैं।
5. परीक्षा विभाग पत्र क्रमांक: जनावि/परीक्षा/2023/3902 दिनांक 08.09.2023 के अनुसार फीस निम्न प्रकार देय होगी:-
अ. 100/- रुपये में दो कार्य दिवस के बाद प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) प्राप्त किया जा सकता है।
ब. 200/- रुपये में एक कार्य दिवस के बाद प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) प्राप्त किया जा सकता है।
स. 500/- रुपये में आवेदन उसी दिन 1:00 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। तत्पश्चात् स्वत ही आवेदन पत्र की प्रक्रिया बन्द हो जायेगी। 500 रुपये में उसी दिन कार्य दिवस पर प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) प्राप्त किया जा सकता है।
6. विश्वविद्यालय में छात्र के अंकित पंजीयन कृत का ही प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) जारी किया जायेगा। बिना पंजीयन व अधूरा फार्म होने पर प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) जारी नहीं किया जायेगा।
7. गलत पंजीयन नम्बर या अधूरा फार्म होने पर प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) मान्य नहीं होगा व जमा शुल्क वापस देय नहीं होगा व अन्य दस्तावेज प्राप्त करने हेतु राशि हस्तान्तरण नहीं होगी।
8. प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत ऑन-लाईन फार्म में विश्वविद्यालय द्वारा की गई प्राप्त शिक्षा का पूर्ण विवरण अंकित करना अनिवार्य है।
9. द्वितीय (Duplicate) प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) प्राप्त करने के लिए शपथ पत्र लगाना अनिवार्य है।
10. प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) फार्म प्रस्तुत करने के बाद निरस्त करवाने पर शुल्क वापस देय नहीं होगी।
11. प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) डाक द्वारा प्राप्त करना चाहता है तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त डाक शुल्क 50 रुपये देय होगा।
12. नियमित छात्र यदि कोई कोर्स के बीच में प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) प्राप्त करना चाहता है तो संबंधित महाविद्यालय से प्रवेश निरस्त होने पर ही प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) प्राप्त कर सकता है।
13. यदि कोई छात्र परीक्षा दी, लेकिन उसका परिणाम जारी नहीं होने तक प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) नहीं दिया जायेगा।
14. माईग्रेशन प्रमाण पत्र ऑन लाईन के द्वारा आवेदन करने पर ही मान्य होगा। ऑफ आईन द्वारा माईग्रेशन आवेदन करने पर किसी भी तरह से मान्य नहीं होगा।


कुलसचिव